

मू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

सूत्री अधिकारी : सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

भूजस्व विविध प्रकरण संख्या : 94/2021 GCMS No : 2021/260

नायरा तिथि : 06.10.2021

फैसला तिथि : 14-05-22

प्रार्थी:-

परबतसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह जाति राजपूत  
निवासी बिरोलिया तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली  
उपस्थिति:-

1. श्री परबतसिंह ..... स्वयं प्रार्थी
2. नायब तहसीलदार, बाली ..... पैरोकार सरकार की ओर से

-:: आदेश ::-

दिनांक 14-05-22

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 200, 201 रकबा 3.1400 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम परबतसिंह पुत्र दलपतसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व राशन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम परबतसिंह पुत्र दलपतसिंह दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह के स्थान पर परबतसिंह पुत्र दलपतसिंह शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम परबतसिंह पुत्र दलपतसिंह है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व राशन कार्ड की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह दर्ज है, जिससे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 200, 201 रकबा 3.1400 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम परबतसिंह पुत्र दलपतसिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14-05-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)  
उपखण्ड अधिकारी  
मू० अभिलेख अधिकारी  
बाली, जिला-पाली (राज.)  
(एस.डी.ओ.), बाली

मू० अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाली, जिला-पाली (राज.)